

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

क्र. एफ.स्टोर्स/5-12/निस्तारण/2016-17

दिनांक

नीलामी सूचना

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री की, नीलामी के माध्यम से "जहां है जैसा है" के आधार पर निपटान करेगी। यह नीलामी दिनांक 16.11.2016 प्रातः 11:00 बजे संस्थान परिसर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित समय पर रु. 1,00,000/- का केवल डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के पक्ष में बोली राशि जमा करा कर अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री की नीलामी में भाग ले सकते हैं। अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री का निरीक्षण दिनांक 07.11.2016 से 11.11.2016 तक प्रातः 10:00 से 1:00 बजे तक किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तों एवं सामग्री का विवरण क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर की वेबसाईट www.rieajmer.ac.in पर उपलब्ध है जिसे आवश्यकतानुसार डाउन्लोड भी किया जा सकता है।

प्रशासनिक अधिकारी

क्षे.शि.संस्थान, अजमेर

नियम एवं शर्तें

1. अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को जहां है जैसे है के आधार पर बेची जाएगी।
2. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सौदे/बोली की कुल राशि का 50 प्रतिशत उसी दिन नकद/डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाना होगा। और शेष राशि दो दिन के अंदर जमा करवानी होगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिभूति राशि ईएमडी के रूप में 1,00,000/- का डीडी जो कि प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के पक्ष में देय होगा जमा करवाना होगा। यह ईएमडी राशि नकद के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। असफल बोलीदाताओं को यह राशि वापिस कर दी जाएगी। सिवाय उच्च बोलीदाता एवं द्वितीय बोलीदाता को छोड़कर।
4. बोलीकर्ता को प्रत्येक बार न्यूनतम रु. 50000/- बढ़ाकर बोली लगानी होगी। रु. 50000/- से कम राशि के साथ बोली नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
5. उन्हीं बोलीकर्ताओं को नीलामी स्थल में प्रवेश दिया जायेगा जो सुरक्षा जमा राशि/ई.एम.डी. जमा करेंगे जो कि क्र.सं. 03 दी गयी है, अन्य को नहीं।
6. अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री का निरीक्षण दिनांक 07.11.2016 से 11.11.2016 तक प्रातः 10:00 बजे से 1:00 बजे के बीच किया जा सकता है।
7. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री का स्वामित्व सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् बोली के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् किया जाएगा।
8. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले/खरीददार को अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री अपनी लागत पर 5 दिनों के भीतर उठानी होगी। उस के पश्चात् दो दिनों की विस्तारित अवधि तक भूमि किराए के रूप में 2,000/- प्रतिदिन की दर से राशि प्रभारित की जाएगी।
9. यदि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले/खरीददार को अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री को पांच दिन अथवा भूमि किराया सहित दो दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर भी नहीं ले जाता है तो उस स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई रु. 1,00,000/- की बोली प्रतिभूति/ईएमडी एवं नीलामी के दिन 50 प्रतिशत जमा करवाई गई है जप्त कर ली जाएगी।
10. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को पूर्ण बोली राशि का नियमानुसार मूल्य सवर्धित कर (वैट) संबंध प्राधिकारी के पास जमा करवाना होगा और जमा पर्ची क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करनी होगी।
11. यदि दोनों पक्षों के बीच इस संविदा के किसी भी पहलू के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
12. यदि नीलामी की तारीख को किसी कारण से अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो यह नीलामी अगले कार्यदिवसों पर की जाएगी।
13. नीलामी दिनांक 16.11.2016 को 11:00 बजे से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान परिसर, अजमेर में होगी।
14. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रशासनिक अधिकारी

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर

TERMS & CONDITIONS

1. Condemned/Obsolete material will be sold out "As is where basis" to the highest bidder.
2. The 50% sale/bid value shall be deposited by the highest bidder on the same day as Cash/DD. And remaining amount required to be deposited within two days.
3. The interested bidders will have to submit the DD only of Rs. 1, 00,000/- (One lac only) to tune payable at Ajmer. The EMD will not be accepted in cash, which will be refundable the same to the unsuccessful bidders except first highest bidder and second highest bidder.
4. Every bid will be increased at least by Rs. 50,000/-by the bidder.
5. The entry will be allowed to those bidders in the Auction Hall only after depositing the Security/EMD amount as stated in item no.3 and no other person will be allowed.
6. The condemned/obsolete materials can be inspected on any working day from 07.11.2016 to 11.11.2016 between 10.00 AM to 1.00 PM in the premises of RIE, Ajmer.
7. The possession of condemned/obsolete material will be given to highest bidder on the receipt of full amount of bid value after completing all the formalities.
8. The highest bidder/purchaser will have to remove the condemned/obsolete material within 5 days at their own risk, cost & expenses etc. Thereafter, an amount of Rs. 2,000/- per day for two days will be charged as ground rent.
9. In case, if the highest bidder does not lift the condemned/obsolete material (Machine/Tools and other Misc. items) in five days or even within the extended period of two days, the bid security/EMD of Rs. 1,00,000/- and the 50% amount deposited on the day of auction shall be forfeited.
- 10.The highest bidder will have to deposit VAT as applicable in Rajasthan on the entire bid amount with the concerned authority and the deposit receipt shall be submitted in the RIE.
- 11.In case of any dispute arises relating to any aspects of this contract between two parties, the decision of the RIE shall be final.
- 12.In case the date of auction is declared holiday on any account, the auction will be taken place on the following working days.
- 13.Auction will be held on 16.11.2016 at 11.00 AM onwards at Institute Campus, RIE, Ajmer.
- 14.The RIE reserves the rights to cancel the auction without assigning any reason whatsoever.

Administrative Officer
Regional Institute of Education, Ajmer.